



भारत में प्रेस की स्वतंत्रता: चुनौतियाँ एवं रणनीतियाँ

यह एडिटरियल 21/5/2024 को 'हट्टि बिज़नेस लाइन' में प्रकाशित 'Questions on press freedom' लेख पर आधारित है। इसमें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की हालिया रैंकिंग पर चर्चा की गई है जो चिंताजनक है, विशेष रूप से जबकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।

प्रलम्ब के लिये:

[विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक](#), अनुच्छेद 19(1)(a), धारा 124A, [रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर](#), प्रेस की स्वतंत्रता, वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भारतीय प्रेस परिषद, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, समाचार प्रसारणकर्ता संघ (NBA), भारत में प्रेस की स्वतंत्रता, [वहसिलब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम, 2014](#), एशिया-प्रशांत क्षेत्र।

मेन्स के लिये:

भारतीय लोकतंत्र के लिये प्रेस की स्वतंत्रता का महत्त्व, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उपाय।

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में प्रेस/मीडिया जनता की आवाज़ को बुलंद करने और सरकारी कार्रवाइयों पर प्रकाश डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रहरी के रूप में कार्य करता है, जो सरकार के कार्यकरण की संवीक्षा करने और किसी भी राज्य अभिक्रिया द्वारा किये गए किसी भी कथित अन्याय या कमियों की ओर ध्यान आकर्षित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। हालाँकि, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक (World Press Freedom Index) भारत के संबंध में एक चिंताजनक तस्वीर प्रस्तुत करता है।

हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में 159वाँ स्थान प्राप्त हुआ है, जो विशेष रूप से विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में इसकी स्थिति को देखते हुए चिंताजनक है। हालाँकि भारत की रैंकिंग में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन यह सुधार देश की प्रगतिके कारण नहीं बल्कि अन्य देशों में प्रेस स्वतंत्रता में गिरावट के कारण हुआ है।

[भारत में प्रेस की स्वतंत्रता](#) के लिये मौजूद प्रमुख चुनौतियों में मीडिया का कुछ व्यक्तियों या संस्थाओं के हाथों में केंद्रित होना (यानी मीडिया संस्थानों की कॉर्पोरेट और राजनीतिक हाईजैकिंग) शामिल है। मीडिया के स्वामित्व के कारण दृष्टिकोणों में विविधता की कमी उत्पन्न हो सकती है, विशिष्ट आख्यानो या एजेंडों का प्रभुत्व हो सकता है और अभिव्यक्ति की बहुलता सीमित हो सकती है, जिससे प्रसारणकर्तों की स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट कर सकने की क्षमता में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक (WPI):

परिचय:

- यह विश्व भर के देशों में प्रेस की स्वतंत्रता के स्तर का एक व्यापक मूल्यांकन है, जिसे वर्ष 2002 से [रिपोर्टर्स सैनस फ्रंटियर्स \(Reporters Sans Frontiers- RSF\)](#) द्वारा प्रतिवर्ष संकलित किया जाता है।

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि पत्रकार, मीडिया संगठन और नागरिक किस सीमा तक सूचना के संग्रहण, रिपोर्टिंग एवं अभिगम्यता के अपने अधिकारों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकने में सक्षम हैं। इसके साथ ही, इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिये प्राधिकारों द्वारा किये गए प्रयासों पर भी विचार किया जाता है।
- यह सूचकांक विशेष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता पर केंद्रित है तथा जिन देशों का यह मूल्यांकन करता है, वह प्रसारणकर्ता की गुणवत्ता या व्यापक मानवाधिकार संबंधी मुद्दों का मूल्यांकन नहीं करता है।

कार्यवधि:

- इसकी कार्यवधि (जिस वर्ष 2021 में अद्यतन किया गया) प्रेस की स्वतंत्रता को पत्रकारों की, व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से, सार्वजनिक हित में समाचारों का चयन, उत्पादन एवं प्रसार करने की क्षमता के रूप में परीक्षण करने पर केंद्रित है।
- यह राजनीतिक, आर्थिक, वैश्विक एवं सामाजिक प्रभावों से स्वतंत्रता पर बल देता है, साथ ही पत्रकारों की शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरह से सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

प्रमुख संकेतक: प्रेस की स्वतंत्रता का आकलन करने के लिये यह सूचकांक पाँच प्रमुख संकेतकों का उपयोग करता है:

- राजनीतिक संदर्भ

- वधिकि ढाँचा
- आर्थिकि संदर्भ
- सामाजिकि-सांस्कृतिकि वातावरण
- सुरक्षा

वश्वि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक (WPI) 2024 की प्रमुख बातें

- वैश्विकि रुझान:
 - यूरोपीय संघ के देशों में, वशिष रूप से हाल ही में यूरोपीय मीडिया स्वतंत्रता अधिनियम (European Media Freedom Act-EMFA) के कार्यान्वयन के बाद से, प्रेस की स्वतंत्रता अपेक्षाकृत सुदृढ़ बनी हुई है।
 - इसके वपिरीत, मगरीब (Maghreb) और मध्य-पूर्व क्षेत्र सरकार द्वारा अधरिपति कड़े प्रेस प्रतबिंधों का सामना कर रहे हैं।
- वैश्विकि स्तर पर तुलनात्मक वश्लेषण:
 - नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन जैसे स्कॅडिनेवियाई देश रैंकिंग में शीर्ष पर हैं, जबकि इरटिरिया, सीरिया और अफगानसितान सबसे नचिले पायदान पर हैं।
 - ब्रकिस (BRICS) देशों में ब्राजील और दक्षणि अफ्रीका भारत से ऊपर हैं, जबकि चीन और रूस को भारत से नीचे स्थान दिया गया है। दक्षणि एशिया में, भारत बांग्लादेश को छोड़कर अन्य सभी देशों से नीचे है।
- प्रेस स्वतंत्रता रैंकिंग में भारत का स्थान:
 - वर्ष 2024 में भारत की रैंकिंग 159 है (जो वर्ष 2023 की 161वीं रैंकिंग से कुछ बेहतर है) और इसे अधिकृत फलिसितीनी क्षेत्रों, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की और रूस जैसे देशों के साथ रखा गया है। यह रैंकिंग भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के चतिाजनक स्तर को दर्शाती है।
- भारत की प्रतिक्रिया: भारत ने इस रपिर्ट को नमिनलखिति आधारों पर अस्वीकार कर दिया-
 - युक्तयुक्त नरिबंधन: वाक एवं अभवियक्त की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19 (1)), जसिमें प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है, को अनुच्छेद 19 (2) के तहत उल्लखिति कुछ आधारों—भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, राज्ज की सुरक्षा, वदिशी राज्जों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शषिटाचार या सदाचार के हतिों में अथवा न्यायालय की अवमानना, मानहानिया अपराध-उद्दीपन—पर युक्तयुक्त नरिबंधन के दायरे में रखा जा सकता है।
 - संदगिध कार्यवधि: भारत मानता है कि इस सूचकांक की कार्यवधि संदगिध है और इसमें पारदर्शिता की कमी है जहाँ नमूने के छोटे आकार और लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर पर्याप्त वचिर नहीं करने जैसे कारक को दोषी माना जाता है।

INDEX 2024		INDEX 2023	
159 / 180	Score : 31.28	161 / 180	Score : 36.62
POLITICAL INDICATOR	159 21.58	POLITICAL INDICATOR	169 33.65
ECONOMIC INDICATOR	157 31.67	ECONOMIC INDICATOR	155 34.15
LEGISLATIVE INDICATOR	143 40.87	LEGISLATIVE INDICATOR	144 42.92
SOCIAL INDICATOR	156 33.33	SOCIAL INDICATOR	143 45.27
SECURITY INDICATOR	162 28.97	SECURITY INDICATOR	172 27.12

लोकतंत्र में स्वतंत्र और अप्रतिबंधित मीडिया का महत्त्व:

- **लोकतांत्रिक ढाँचे और नागरिक जागरूकता के लिये आवश्यक:**
 - प्रेस की स्वतंत्रता भारत जैसे लोकतांत्रिक समाजों की आधारशिला है, क्योंकि यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों को सुदृढ़ बनाती है तथा लोकतंत्र के तीन स्तंभों के साथ सहभागिता को बढ़ावा देती है।
 - **रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950) मामले** में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है) के मूल अधिकार की पुष्टि की।
- **राष्ट्र की प्रत्यासूचना को बढ़ाना:**
 - पूर्वाग्रह रहित रिपोर्टिंग एवं विश्लेषण के माध्यम से मीडिया आउटलेट नागरिकों के बीच सूचना-संपन्न नरिणयन को सुगम बनाते हैं। वे नागरिकों को उनके **अधिकारों एवं कर्तव्यों** के बारे में जागरूक कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करते हैं।
 - उदाहरण के लिये, चुनावों के दौरान मीडिया आउटलेट राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और उनकी नीतियों के बारे में मतदाताओं तक सूचना पहुँचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **सरकारी अतिक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा:**
 - स्वतंत्र प्रेस सरकारों एवं प्रशासनिक निकायों की गतिविधियों पर निगरानी का अत्यंत महत्त्वपूर्ण कार्य करता है।
 - **वर्ष 2005 में अधिनियम RTI अधिनियम** नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकारों के पास उपलब्ध सूचना तक पहुँच का अधिकार देता है, जिससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है।
- **सामाजिक अन्याय के विरुद्ध कदम:**
 - यह जागरूकता बढ़ाने और सामाजिक कुरीतियों एवं अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने का दायित्व रखता है।
 - **वर्ष 2012 में नरिभया मामले** की मीडिया कवरेज ने सार्वजनिक विमर्श को प्रेरित किया और महिला सुरक्षा, कानून प्रवर्तन सुधार एवं लिंग संवेदनशीलता के महत्त्व जैसे अत्यंत गंभीर मुद्दों पर चर्चा को बढ़ावा दिया।
- **सत्तक निगरानी और सार्वजनिक हितों की रक्षा:**
 - मीडिया राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर जनता की आवाज़, इसके पैरोकार एवं प्रहरी के रूप में कार्य करती है। यह एक शिक्षा प्रदाता, मनोरंजन प्रदाता और समकालीन अभिलेखनकर्ता के रूप में भी कार्य करता है।
 - उदाहरण के लिये, मीडिया धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने के रूप में सरकारी नीतियों और व्यय की संवीक्षा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा नषिपक्ष रिपोर्टिंग के माध्यम से **पारदर्शी शासन** में योगदान देता है।

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करने वाले प्रमुख कारक

- **पत्रकारों के विरुद्ध शारीरिक धमकियाँ और हिसा:** विशेष रूप से जब पत्रकार भ्रष्टाचार या सांप्रदायिक तनाव जैसे संवेदनशील मुद्दों पर रिपोर्ट करते हैं तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। उन्हें अपने पेशेवर कर्तव्यों का पालन करते समय हमलों का सामना करना पड़ता है या यहाँ तक कि कई बार अपनी जान भी गँवानी पड़ती है।
 - **भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A** जैसे कानून—जो राजद्रोह को अपराध मानते हैं तथा जिसके लिये आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है, प्रेस की स्वतंत्रता को और अधिक खतरे में डालते हैं।
- **कॉर्पोरेट और राजनीतिक प्रभाव:** मीडिया के एक बड़े भाग पर (चाहे वह प्रिंट मीडिया हो या वजिअल मीडिया) **कॉर्पोरेट और राजनीतिक संस्थाओं** का अत्यधिक प्रभाव पत्रकारिता की स्वतंत्रता से समझौता करता है और नहित स्वार्थों की पूर्ति करता है, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता कमज़ोर होती है।
- **‘फेक न्यूज़’ और ‘हेट स्पीच’:** पेड न्यूज़, एडवर्टरियल जैसे मीडिया के तौर-तरीके और फेक न्यूज़ के प्रसार से मीडिया की विश्वसनीयता कमज़ोर होती है और नषिपक्ष रूप से रिपोर्टिंग करने की उसकी क्षमता नष्ट होती है।
 - पत्रकारों को लक्षित करने वाले **हेट स्पीच** का सोशल नेटवर्क पर व्यापक प्रसार होता है, जिससे उनकी सुरक्षा एवं हति को प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न होता है।
 - उदाहरण के लिये, **बजिोई इमैनुएल बनाम केरल राज्य (1986) मामले** में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बोलने के अधिकार में चुप रहने या एक शब्द भी न बोलने का अधिकार भी शामिल है।
- **सेल्फ-सेंसरशिप और नैतिक चुनौतियाँ:** यह अभ्यास मीडिया बरिदरी में व्यापक रूप से व्याप्त है, जो **वभिनिन स्रोतों की ओर से प्रतिक्रिया या दबाव के भय से प्रेरित** है और इस सत्तक रवैये के परिणामस्वरूप कुछ वषियों से परहेज किया जाता है या विवादास्पद मुद्दों पर कम मुखर रुख अपनाया जाता है।
 - व्याप्त नैतिक चुनौतियाँ **वास्तविक तथ्यों की रिपोर्टिंग करने और सेंसरशिप या सरकार द्वारा आरोपित प्रतिबंधों के बीच एक संतुलन** के आसपास संकेंद्रित हैं।
 - पत्रकार स्वयं को जनता को सटीक, व्यापक सूचना उपलब्ध कराने के अपने कर्तव्य और संवेदनशील वषियों या असहमतपूर्ण दृष्टिकोणों पर रिपोर्टिंग करने के कारण सेंसरशिप, कानूनी कार्रवाइयों या व्यक्तिगत हानिका सामना करने के जोखिम के बीच फँसा हुआ महसूस कर सकते हैं।
- **सरकारी हस्तक्षेप:** सरकार का हस्तक्षेप स्थिति को और अधिक जटिल बना देता है, क्योंकि यह **वजिआपन बजट** को नरिंतरित करने जैसे साधनों के माध्यम से मीडिया संगठनों की **संपादकीय स्वतंत्रता को कमज़ोर** कर सकता है। सरकारें अपने वचिारों से मेल रखने वाली मीडिया को पुरस्कृत करने या असहमता रखने वाली मीडिया को दंडित करने के रूप में मीडिया द्वारा खबरों के प्रस्तुतिकरण को आकार दे सकती हैं।

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से संबद्ध वभिनिन नकियाय:

- **नयामक नकियाय:**
 - **भारतीय प्रेस परिषद (Press Council of India- PCI):** **प्रेस परिषद अधिनियम, 1978** के तहत स्थापित भारतीय प्रेस परिषद

पत्रकारिता में प्रेस की स्वतंत्रता एवं नैतिक मानकों को बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिये एक **नगिरानी संस्था** के रूप में कार्य करता है।

- **सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय:** सरकार के इस निकाय को भारत में मीडिया क्षेत्र के लिये नीतियाँ एवं दशान्देश तय करने का कार्य सौंपा गया है।
- **न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA):** NBA भारत में नज्ी टेलीवज़िन न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स का प्रतिनिधित्व करने वाला एक **स्व-नियामक संगठन** है। यह टेलीवज़िन न्यूज़ चैनलों के लिये नैतिक मानक निर्धारित करता है और उन्हें लागू करता है।
- **प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाली संस्थाएँ:**
 - **एडिटर्स गिल्ड ऑफ़ इंडिया:** इसमें प्रमुख समाचार पत्रों और समाचार पत्रिकाओं के संपादक शामिल होते हैं। यह प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करता है और पत्रकारों के अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों पर ध्यान केंद्रित करता है।
 - **वधिकि प्रणाली:** भारत की न्यायपालिका (सर्वोच्च न्यायालय सहित) प्रेस की स्वतंत्रता की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और न्यायालयों के पास प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन से निपटने, पत्रकारों की सुरक्षा करने और मीडिया से संबंधित कानूनों का निर्वचन करने का अधिकार है।
 - **अंतर्राष्ट्रीय संगठन:** 'रिपोर्टर्स व्हाइट बॉर्डर्स' (RSF) और 'कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स' (CPJ) जैसी वैश्विक संस्थाएँ भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की नगिरानी करती हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसके उल्लंघन को उजागर करती हैं।

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता में सुधार के लिये आवश्यक रणनीतियाँ:

- **कार्यान्वयन समिति की सफ़ारिशें:**
 - **न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति (2012), भारतीय प्रेस परिषद और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** ने पत्रकारों के लिये वधिकि एवं नैतिक प्रशिक्षण अपनाने, मीडिया संस्थानों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देने और वधिकि उपायों एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सफ़ारिश की है।
- **सुदृढ़ वधिकि ढाँचा:**
 - भारत में संवैधानिक **अनुच्छेद 19(1)(a)** के रूप में एक सुदृढ़ वधिकि ढाँचा मौजूद है, जो **वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** की गारंटी देता है।
 - हालाँकि पत्रकारों को उत्पीड़न, धमकी और हिसा से बचाने के लिये वधिकियों एवं वनियमों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। **वर्ष 2017** में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतंत्र वाक् एवं प्रेस के महत्त्व की पुष्टि करते हुए कहा कि वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सत्य तक पहुँच के लिये **'सर्वोत्कृष्ट साधन'** है।
- **स्वतंत्र मीडिया नियामक निकाय:**
 - **मीडिया के कार्यकरण की नगिरानी के लिये स्वतंत्र एवं स्वायत्त नियामक निकायों** की स्थापना से निष्पक्ष और पूर्वाग्रह रहित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।
 - इसके सदस्यों के लिये **पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया सुनिश्चित करना, पर्याप्त संसाधन एवं वित्तपोषण उपलब्ध कराना** और मीडिया को निष्पक्ष रूप से वनियमित करने की इसकी क्षमता में जनता के भरोसे को बढ़ाना आवश्यक होगा।
- **'व्हिसलब्लोअर्स' और पत्रकारों के लिये सुरक्षा:**
 - गलत कार्यों को उजागर करने वाले या संवेदनशील मुद्दों पर रिपोर्टिंग करने वाले मुखबरी (whistleblowers) और पत्रकारों की सुरक्षा के लिये वधिकियों एवं प्रक्रियाओं का निर्माण नरिभीक रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित कर सकता है।
 - उदाहरण के लिये **व्हिसलब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम, 2014** सार्वजनिक क्षेत्र में मुखबरी की सुरक्षा के लिये एक वधिकि ढाँचा प्रदान करता है।
- **ऑनलाइन खतरों और फ़ेक न्यूज़ से निपटना:**
 - डिजिटल मीडिया के बढ़ते उपयोग के साथ, पत्रकारों को लक्षित करने वाले **साइबर उत्पीड़न, ट्रोलिंग एवं दुष्प्रचार अभियान** जैसे ऑनलाइन खतरों से निपटना आवश्यक है।
 - वर्ष 2022 में **न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (NBDA)** ने पत्रकारों, विशेषकर महिला पत्रकारों, के ऑनलाइन उत्पीड़न एवं दुरव्यवहार और फ़ेक न्यूज़ से निपटने के लिये एक अभियान शुरू किया।
- **मीडिया साक्षरता और प्रशिक्षण:**
 - पत्रकारिता में वदियमान नैतिक असंगति से निपटने, मीडिया संगठनों के भीतर पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देने और वधिकि सुरक्षा के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी की रक्षा करने के लिये मीडिया साक्षरता एवं नैतिकता प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:**
 - अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं मंचों के साथ सहयोग करने से सर्वोत्तम अभ्यासों को बढ़ावा देने, अनुभवों को साझा करने और भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के लिये वैश्विक समर्थन हासिल करने में मदद मिल सकती है।
 - भारत, **अंतर्राष्ट्रीय संचार विकास कार्यक्रम (International Programme for the Development of Communication- IPDC)** का सदस्य है। यह यूनेस्को (UNESCO) की एक पहल है जो दुनिया भर में मीडिया विकास और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है।

निष्कर्ष

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने का प्रयास बहुआयामी प्रकृति रखता है और इसके लिये सहयोगात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है **न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति (2012), भारतीय प्रेस परिषद और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसे निकायों की सफ़ारिशें** मीडिया साक्षरता बढ़ाने, पत्रकारों के लिये नैतिक प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने, मीडिया संगठनों के भीतर पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देने जैसे वधियों के महत्त्व पर बल देती है।

अभ्यास प्रश्न: भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के समक्ष वदियमान प्रमुख बाधाओं पर वचार कीजयि और देश में स्वतंत्र एवं स्वायत्त प्रेस की सुरक्षा एवं संवर्धन के लयि आवश्यक रणनीतयिों का प्रस्ताव कीजयि ।

UPSC सवलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न 2. नजिता के अधकार को जीवन एवं वयक्तगित स्वतंत्रता के अधकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षति कयि जाता है । भारत के संवधान में नमिनलखिति में से कसिसे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थति होता है? (2018)

- (a) अनुच्छेद 14 एवं संवधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध ।
- (b) अनुच्छेद 17 एवं भाग IV में दयि राज्य के नीतके नरिदेशक तत्त्व ।
- (c) अनुच्छेद 21 एवं भाग III में गारंटी की गई स्वतंत्रताएँ ।
- (d) अनुच्छेद 24 एवं संवधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध ।

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न: आप 'वाक् और अभवियक्ता स्वातंत्र्य' संकल्पना से क्या समझते हैं? क्या इसकी परधिमें घृणा वाक् भी आता है? भारत में फलिमें अभवियक्ता के अन्य रूपों से तनकि भनि स्तर पर क्यों हैं? चर्चा कीजयि ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/press-freedom-in-india-challenges-and-strategies>

